न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्या0) सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री मोनिका बलारा, आर.ए.एस.(प्रशिक्षु)

मुकदमा संख्या :– 19/2015

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी ग्राम बन्धा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

बनाम

1. आशाराम पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी बन्धा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।
2. रामभरोस पुत्र आशाराम जाति मीना निवासी बन्धा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।
3. भोजराज पुत्र आशाराम जाति मीना निवासी बन्धा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।
4. श्रीमती रामबाई पत्नि आशाराम मीना जाति मीना निवासी बन्धा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील सवाईमाधोपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता वकील प्रार्थी

निर्णय **दिनांक :– 07.09.2016**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ग्राम घाटाझरन्या में स्थित उक्त भूमि के खसरा नम्बर 109, 112, 114, 115 व 118 कुल किता 5 कुल रकबा 1.64 हैक्टेयर है।

सहायक कलेक्टर
एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मु.) सवाई माधोपुर

उक्त अराजी से अप्रार्थी संख्या 1 लगायात 4 का किसी प्रकार कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 लट्ठ के बल पर प्रार्थी से उक्त भूमि छिनने पर अमादा है। दिनांक 05.11.2015 को प्रार्थी उक्त भूमि पर फसल की रखवाली कर रहा था। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 ट्रेक्टर लेकर विवादित आराजीयात पर आ गये तथा सरसों की फसलों को उचींदने पर अमादा हो गये। प्रार्थी ने बढ़ी मुश्किल से उन्हें रोका तथा धमकी दी की आयन्दा मौका देखकर फसल को उचीन्द कर रहेंगे तथा लट्ठ के बल पर समस्त खेतों पर कब्जा करके रहेंगे।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि विवादित भूमि के खसरा नम्बर 109, 112, 114, 115 व 118 कुल किता 5 कुल रकबा 1.64 हैक्टेयर वाके ग्राम घाटाझरन्या प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें, न अन्य से करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण आदेशिका दिनांक 23.08.2016 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित वाकेयात को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु अनुरोध किया। हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन किया। विवादित अराजीयात के खसरा नम्बर 109, 112, 114, 115 व 118 कुल किता 5 कुल रकबा 1.64 हैक्टेयर वाके ग्राम घाटाझरन्या जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार प्रार्थी रामजीलाल की खातेदारी में दर्ज हो रही है तथा खसरा गिरदावरी सम्बत 2071 से 2074 के अनुसार काश्त भी प्रार्थी रामजीलाल की दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त विवादित अराजीयात के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार प्रथम दृष्टिया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है। दिनांक 05.11.2015 को प्रार्थी उक्त भूमि पर फसल की रखवाली कर रहा था। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 ट्रेक्टर लेकर विवादित आराजीयात पर आ गये तथा सरसों की फसलों को उचींदने पर अमादा हो गये। प्रार्थी ने बढ़ी मुश्किल से उन्हें रोका तथा धमकी दी की आयन्दा मौका देखकर फसल को उचीन्द कर रहेंगे तथा लट्ठ के बल पर समस्त खेतों पर कब्जा करके रहेंगे। इस प्रकार अप्राथीगण 1 लगायत 4 को प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। इसके विपरित प्रार्थी को अपनी भूमि शांतिपूर्वक काश्त करने का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है। चूंकि अप्रार्थीगण लट्ठ के बल पर प्रार्थी को काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है। अतः सुविधा का असंतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है। जहां तक अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है। यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। क्योंकि प्रार्थी के शांतिपूर्वक उक्त अराजीयात के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 बाधा उत्पन्न करते है। इस प्रकार प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में सफल रहा है।

सहायक कलेक्टर
एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मु.) सवाई माधोपुर

(3, मु०न० 19/2015

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को उक्त अराजीयात को खसरा नम्बर 109, 112, 114, 115 व 118 कुल किता 5 कुल रकबा 1.64 हैक्टेयर वाके ग्राम घाटाझरन्या तहसील सवाईमाधोपुर के लिये ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी की अराजीयात के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें, न अन्य से करावें।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2016 को मेरे द्वारा अंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर

(मुख्यालय) सवाईमाधोपुर

सहायक कलेक्टर
एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मु.) सवाई माधोपुर